न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 03/2019

तारीख रजू:– 21.11.2019

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनूपसिंह

R.A.S.

1. स्वदेश कुमार पुत्र बृजमोहन
2. श्रीमती पुष्पा बेबा दीनदयाल
3. राहुल | पिसरान दीनदयाल
4. प्रियदर्शी |
5. जौली पुत्री दीनदयाल

जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ हाल निवासी जयपुर

———— अपीलान्टस

बनाम

1. शिवप्रकाश गोयल पुत्र रामनाथ, जाति महाजन निवासी सूरौठ हाल निवासी गायत्री सोसायटी, नरोडा रोड, अहमदाबाद, गुजरात
2. राकेश मीना पुत्र रामखिलाडी मीना जाति मीना निवासी गांवडी तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. सरपंच ग्राम पंचायत, धंधावली तहसील हिण्डौन
4. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ————————रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 1428 दिं019.09.2019 बाबत खसरा नं0 1083,1135,1127,1121/2,1129,1126, 1128,1130,1122,1123, ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन

उपस्थितः– 1.श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट अपीलान्टस
2. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट सं01

निर्णय

दिनांक :– 12-8-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1083, 1135, 1127, 1121/2, 1129, 1126, 1128, 1130, 1122,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन है, जिसमें रेस्पोडेन्ट नं01 का 1/28 हिस्सा रहा है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं01 अपील का साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा है, जिसमें रेस्पोडेन्ट नं01 का 1/28 हिस्सा रहा है। जिसमें उसने अपना सम्पूर्ण 1/28 हिस्सा अपीलान्ट नं01 व उसके खास भाई दीनदयाल को बिल एवज 8500/–रूपये में दिनांक 09.09.1986 को विक्रय कर दिया तथा 50 हजार रूपये उक्त दिनांक को ही प्राप्त कर विक्रीत भूमि में अपीलान्ट नं01 व उसके खास भाई दीनदयाल का कब्जा करा दिया। शेष राशि वरवक्त बयनामा प्राप्त करने का इकरार किया।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट नं01 ने उक्त विक्रय दिनांक 09.09.1986 की बाबत् बतौर याददास्त एक लिखावट इकरारनामा अपीलान्ट नं01 व उसके खास भाई के हक में 7/–रूपया के स्टाम्प पर प्रहलाद महाजन से तहरीर व तकमील कराकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये और असल इकरारनामा अपीलान्ट नं01 व उसके भाई दीनदयाल के हवाले कर दिया, तभी से अपीलान्ट नं01 व उसका खास भाई भूमि पर काबिज व दखील होकर भूमि का उपयोग करने लग गये तथा इकरारनामा में रेस्पोडेन्ट नं01 ने अपने हस्ताक्षर कर दिये व वकलम के हस्ताक्षर प्रहलाद महाजन ने करके असल स्टाम्प इकरारनामा अपीलान्ट व उसके भाई दीनदयाल के हवाले कर दिया।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट नं01 के खास भाई दीनदयाल सन् 1994 में फौत हो गया। अपीलान्ट नं02 ता 5 उसके वारिस हैं तथा अपीलान्ट का संयुक्त परिवार होने से अपीलान्ट नं01 उक्त खरीदशुदा भूमि पर आदर्श फिजिकल टीचर्स ट्रेनिंग विधालय का संचालन कर उसका उपयोग करता आ रहा है, जिसमें उसने विधालय की बिल्डिंग, खेल मैदान व पानी का बोर तथा पुख्ता कमरे बनाकर भूमि की बाउण्ड्री बनाकर उसका उपयोग करता आ रहा है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट नं01 ने कई बार रेस्पोडेन्ट नं01 से विकय राशि लेकर भूमि का बयनामा उनके हक में कराने के लिए कहा, मगर रेस्पोडेन्ट नं01 टालमटोल करता रहा।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपील के मद नं06 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट नं01 ने दिनांक 01.01.1996 को तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अपने विधालय आदर्श शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कि वह किन–किन खसरा नम्बरों पर बना हुआ है, इसकी मौका रिपोर्ट बाबत् दिया। जिस पर सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा मौका देखकर खसरा नम्बर 1124 पर विधालय का बना होना व उसके प्रशिक्षण कमरे, आवासीय कमरे, खेल मैदान, नलकूप आदि खसरा नम्बर 1129,1122,1123,1083 उनके उपयोग में आना बताया तथा शेष खसरा नम्बरान परिसर के विस्तार हेतु खाली रखे गये होना बताया। इस प्रकार अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा भूमि पर निरन्तर काबिज व दखील चला आ रहा है। इसके पश्चात पुनः दिनांक 01.08.2017 को पुनः इस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार हिण्डौन को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर दिनांक 03.08.017 को सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा गया, जिसमें खसरा नम्बर 1124 पर विधालय का होना व विधालय के अन्य कमरे, कार्यालय प्रशिक्षण, खेल मैदान, नलकूप आदि खसरा नम्बर 1083, 1122,1123,1127,1128,1129 विधालय के उपयोग में आना बताया। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज व दखील चले आ रहे हैं।

अपील के मद नं07 में दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा अपीलान्ट नं01 के यह कहने पर कि आप विक्रय पेटे शेष राशि लेकर विक्रीत भूमि का बयनामा हमारे हक में करा दो, तो रेस्पोडेन्ट नं01 इन्कार हो गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं01 के विरूद्ध इकरारनामा तारीखी 09.09.1986 के आधार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन के समक्ष तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट नं01 उपस्थित हो गया, मगर बंराये बदयांति रेस्पोडेन्ट नं01 ने अपीलान्ट के दावे को डिफीट करने की गरज से उपरोक्त खसरा नम्बरान में अपने 1/28 हिस्से को रेस्पोडेन्ट नं02 को जरिये बयनामा विक्रय कर दिया और रेस्पोडेन्ट नं02 ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को जानते हुए उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट नं01 से खरीद कर उसका अपीलाधीन नामान्तकरण अपने हक में राजस्व कर्मचारियों से साज करके खुलवा लिया, जो जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं08 में दर्ज किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा खिलाफ कानून व मौके के विपरीत खोला है,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित खसरा नम्बरान में रेस्पोडेन्ट नं02 का कब्जा नहीं है। मगर उसने सम्बन्धित पटवारी हल्का से साज कर बिना कब्जे की जाँच किये गलत रूप से उक्त नामान्तकरण अपने हक में खुलवा लिया, जो जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं09 में दर्ज किया है कि सम्बन्धित हल्का गिरदावर व रेस्पोडेन्ट नं03 ने बिना सम्पूर्ण स्थिति की जॉच किये उक्त नामान्तकरण बिना कब्जे के तस्दीक फरमा दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट नं01 का भूमि पर कोई कब्जा नहीं था और ना ही रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं02 को कोई कब्जा वरवक्त बयनामा हैण्डओवर किया गया था और ना ही रेस्पोडेन्ट नं02 ने खरीदशुदा अराजी पर कोई कब्जा ही प्राप्त किया। इसलिए उक्त नामान्तकरण कब्जे के अभाव में खिलाफ कानून तस्दीक किया गया है जो जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं010 में दर्ज किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन के यहॉ तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन होते हुए कानूनन विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के अधिकारों का अन्तिम निर्धारण होना है। उक्त सम्पूर्ण स्थिति को ओवरलुक करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं011 में दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट नं01 ने बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि उसके द्वारा उक्त भूमि को अपीलान्ट को विक्रय की जा चुकी है व उसका इकरारनामा लिख दिया है तथा उसके सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश हिण्डौन के यहॉ मुकदमा विचाराधीन है, इसके बावजूद भी उसने भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट नं02 को कर दिया और रेस्पोडेन्ट नं02 ने यह जानते हुए कि उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा अपीलान्ट नं01 व उसके भाई को पूर्व में विक्रय की जा चुकी है व उसके सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है भूमि को खरीद लिया, जो कि धारा –52 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत उक्त बयनामा बिल्कुल गलत है व नल एण्ड बोइड है, मगर इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट नं03 द्वारा उक्त नामान्तकरण खिलाफ कानून तस्दीक फरमा दिया, जो जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपील के मद नं012 में दर्ज किया है कि उक्त नामान्तकरण कब्जे के प्रभाव में भी खिलाफ कानून निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं013 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण में वर्णित भूमि विवादग्रस्त है, जिसका मुकदमा न्यायालय ए.सी.जे./जे.एम. नं01 हिण्डौन में विचाराधीन है, जिसके तहत उक्त हस्तान्तंरण धारा52टी.पी.एक्त के तहत प्रभावहीन व शून्य है तथा विवादित हस्तातंरण व विवाद की सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित पटवारी हल्का को व ग्राम पंचायत को भली भॉति थी तथा मुताविक कानून विवादित नामान्तकरणों को तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है तथा नामान्तकरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत केवल धारा 135 (1) एल.आर.एक्ट के तहत विवादरहित नामान्तकरणों को तस्दीक कर सकती है तथा विवादित हस्तातंरणों व विवादित नामान्तकरणों को तस्दीक करने का अधिकार धारा 152(2) एल.आर.एक्ट के तहत ग्राम पंचायत धंधावली को नहीं था, इसलिए उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत धंधावली में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया है जो जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं014 में दर्ज किया है कि उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट नं01 को दिनांक 11.10.2019 को रेस्पोडेन्ट नं02 के यह कहने पर कि उक्त भूमि मैंने खरीद ली है और अपने हक में मैंने नामान्तकरण भी खुलवा लिया है अब मैं भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करूंगा, हुई। जिस पर अपीलान्ट नं01 द्वारा अपने वकील हुकमसिंह एडवोकेट के मार्फत उक्त नामान्तकरण का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 15.10.2019 को उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त हुई। जिस पर अपील इल्म की तिथि से अन्दर मियाद पेश है। वरफाये हुज्जत दफा–5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1428 दिनांक 19.09.2019 बाबत् खसरा नम्बर 1083,1135,1127,1121/2,1129,1126,1128,1130,1122, 1123 वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन निरस्त फरमाया जावे। अन्य दीगर दादसी जो नजदीक अदालत मुफीद अपीलान्टस साबित हो, वह भी अता फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस सं02 ता 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 वाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया।

वकील अपीलान्टस ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 1428 फैंसल दिनांक 21.09.2019, फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन को दिनांक 19.01.1996 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विधालय सूरौठ की जमीन का नक्शा मय खसरा नम्बर देने, फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.1996 जिस पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने दिनांक 21.11.2019 को मुकदमा नं0 163/2019 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी स्वदेश कुमार बनाम शिवप्रकाश वगैराह में दिनांक 21.11.2019 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश की प्रति, नकल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 12/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, नकल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 16/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह दावा तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा, नकल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 12/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आदेशिक सम्पूर्ण, नकल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 16/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह दावा तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा की सम्पूर्ण आदेशिका की प्रति, फोटो प्रति इकरारनामा 07/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प दिनांक 09.09.1986 की प्रति, फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन को दिनांक 02.08.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विधालय सूरौठ की जमीन का नक्शा मय खसरा नम्बर देने, फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2017 जिस पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, पेश की हैं।

अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट सं01 के वकील उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने दौराने बहस अपील में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथ्यों को दौहराया है तथा साथ ही अवगत कराया है कि विवादित भूमि पर खरीददार का कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं है तथा उक्त भूमि पूर्व में खातेदार रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा अपीलान्ट को जरिये एग्रीमेन्ट विक्रय कर कब्जा दिया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दावा को डिफीट करने की गरज से रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं02 के हक में बयनामा कराकर अपीलाधीन नामान्तकरण बसाज ग्राम पंचायत तस्दीक कराया है, जो सरपंच ने गोपनीय व साजिसी तरीके से तस्दीक किया है, बल्कि नामान्तकरण को तस्दीक करने की शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई तथा ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस जारी किये गये और ना ही ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई और ना ही ग्राम पंचायत के कोरम में उक्त नामान्तकरण पेश किया गया है। वकील अपीलान्ट ने भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 की धारा 135(1) के अन्तर्गत तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियॉ ग्राम पंचायतों को प्रदत्त करने का कथन किया है ना कि सरपंच को। ग्राम पंचायत को भूमि के आवंटन पश्चातवर्ती या न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में होने वाले नामान्तकरणों को छोडकर अन्य निर्विवाद नामान्तकरणों का विनिश्चय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जब नामान्तकरण विनिश्चय करने की शक्तियॉ ग्राम पंचायत को प्रदान की गई हैं तो बिना ग्राम पंचायत की बैठक आहूत किये, बिना वार्ड पंचों तथा अपीलान्ट व अन्य किसी व्यक्तियों को बुलाये बिना व मौके की जॉच किये बिना गोपनीय तरीके से सरपंच से साजकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हिण्डौन के यहॉ विवाद काफी समय पूर्व से विवाद विचाराधीन है। उक्त बयनामा जिसके आधार पर विवादित नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जिस भूमि से सम्बन्धित है उसके सम्बन्ध में विक्रेता व अपीलान्ट के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में उक्त बयनामा व उसके आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण धारा 52 टी.पी.एक्ट से हिट होने के कारण भी निरस्तनीय है। अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट सं01 ने दौराने बहस अवगत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कराया है कि उसके द्वारा अपीलान्टस को कोई भूमि का बेचान नहीं किया गया है बल्कि रेस्पोडेन्ट सं02 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया बेचान सही है। जिसके आधार पर नामान्तकरण सं01428 सही भरकर दिनांक 21.09.2019 को सही तस्दीक किया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील निरस्त फरमायी जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण सं0 1428 दिनांक 19.09.2019 को हल्का पटवारी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.22 है0, 1121/2 रकबा 1.17 है0, 1135 रकबा 0.35 है0, 1127 रकबा 0.57 है0, 1129 रकबा 0.15 है0, 1126 रकबा 0.62 है0, 1128 रकबा 0.22 है0, 1130 रकबा 0.24 है0, 1122 रकबा 0.06 है0, 1123 रकबा 0.26 है0 ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन में शिवप्रकाश पुत्र रामलाल हि01/28 जाति महाजन सा0 सूरौठ खातेदार के स्थान पर राकेश मीना पुत्र रामखिलाडी हि01/28 जाति मीना निवासी गांवडी खातेदार के नाम भरा गया है तथा दिनांक 20.09.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन ने उक्त नामान्तकरण पर अपनी टिप्पणी अंकित की है कि मुताविक रिपोर्ट पटवारी व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार अंकन सही है तथा दिनांक 21.09.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत सौमलारात्रा ने उक्त नामान्तकरण पर अंकित किया है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.09.2019 के प्रस्ताव संख्या 2(1) के द्वारा नामान्तकरण स्वीकार है।

फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन को दिनांक 19.01.1996 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विधालय सूरौठ की जमीन का नक्शा मय खसरा नम्बर देने के सम्बन्ध में है।

फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.1996 जिस पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट में अंकित किया है कि निर्देशानुसार आदर्श फिजीकल टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल सूरौठ का मौका देखा –स्थितिनुसार – विधालय ग्राम धंधावली की सीमा के अन्दर स्थित है। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.70 है0 पर विधालय का कब्जा है, इसी आराजी नम्बर पर विधालय कार्यालय, प्रशिक्षण हेतु कमरे , प्रशिक्षणार्थी हेतु आवासीय कमरे, खेल मैदान तथा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नलकूप स्थित हैं तथा खसरा नम्बर 1129रकबा 0.15 है0, 1083 रकबा 0.22 है0, 1122 रकबा 0.06 है0, 1123 रकबा 0.24 है0 आराजी नम्बरान वास्ते खेल मैदान उपयोग में आ रहे हैं।

फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन को दिनांक 02.08.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विधालय सूरौठ की जमीन का नक्शा मय खसरा नम्बर देने के सम्बन्ध में है।

फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2017 जिस पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, रिपोर्ट में अंकित किया है कि निर्देशानुसार आदर्श फिजीकल टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल सूरौठ का मौका देखा – स्थितिनुसार – विधालय ग्राम धंधावली की सीमा के अन्दर स्थित है। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.70 है0 पर विधालय का कब्जा है, इसी आराजी नम्बर पर विधालय कार्यालय, प्रशिक्षण हेतु कमरे , प्रशिक्षणार्थी हेतु आवासीय कमरे, खेल मैदान तथा नलकूप स्थित हैं तथा खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.15 है0, 1083 रकबा 0.22 है0, 1122 रकबा 0.06 है0, 1123 रकबा 0.24 है0, 1127 रकबा 0.57 है0, 1128 रकबा 0.22 है0 आराजी नम्बरान वास्ते खेल मैदान उपयोग में आ रहे हैं।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने दिनांक 21.11.2019 को मुकदमा नं0 163/2019 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी स्वदेश कुमार बनाम शिवप्रकाश वगैराह में दिनांक 21.11.2019 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश जारी कर आराजी खसरा नम्बर 1083,1135, 1127,1121/2, 1129, 1126, 1128, 1130, 1122, 1123 स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है।

नकल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 12/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रति के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम धंधावली तथा हाल खसरा नम्बर 1083,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129, 1130,1131, 648/1613 कुल किता 13 कुल रकबा 5.28 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील हाल सूरौठ के बाबत् विचाराधीन है। जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1/28 हिस्सा है के बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन होना साबित है। जो आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है ।

नकल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 16/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह दावा बाबत् तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा की प्रति के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम धंधावली तथा हाल खसरा नम्बर 1083,1121,1122,1123,1124,1125, 1126,1127,1128,1129,1130,1131, 648/1613 कुल किता 13 कुल रकबा 5.28 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील हाल सूरौठ के बाबत् विचाराधीन है। जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 का 1/28 हिस्सा है के दावा बाबत् तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन होना साबित हैं। जो आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है ।

फोटो प्रति इकरारनामा 07/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प दिनांक 09.09.1986 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं01 शिवप्रकाश गोयल ने दिनांक 09. 09.1986 को साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा में से अपने 1/28 भाग की भूमि को अपीलान्टस नं01 स्वदेश कुमार को तथा अपीलान्ट नं0 3 ता 5 के पिता व अपीलान्ट नं02 के पति बृजमोहन को विल एवज 56500/–रूपया में बेचान कर विक्रीत भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा करा दिया है और उक्त विक्रय पेटे 50000/–रूपया अक्षरे पचास हजार रूपया रोकडी प्राप्त कर लिये तथा शेष राशि 5600/–रूपया रजिस्ट्री के समय देना तय किया। उक्त लिखावट प्रहलाद महाजन सूरौठ से तहरीर कराकर शिव प्रकाश गोयल ने अपने हस्ताक्षर करके स्वदेश कुमार व बृजमोहन के हवाले उक्त स्टाम्प कर दिया ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेट नं01 शिवप्रकाश नें विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा में से अपने 1/28 भाग की भूमि को अपीलान्टस नं01 स्वदेश कुमार को तथा अपीलान्ट नं0 3 ता 5 के पिता व अपीलान्ट नं02 के पति बृजमोहन को विल एवज 56500/–रूपया में बेचान कर विक्रीत भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा करा दिया है और उक्त विक्रय पेटे 50000/–रूपया अक्षरे पचास हजार रूपया रोकडी प्राप्त कर लिये तथा शेष राशि 5600/–रूपया रजिस्ट्री के समय देना तय किया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उक्त लिखावट प्रहलाद महाजन सूरौठ से तहरीर कराकर शिव प्रकाश गोयल ने अपने हस्ताक्षर करके स्वदेश कुमार व बृजमोहन के हवाले उक्त स्टाम्प कर दिया। उक्त लिखावट 7/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई है तथा खरीद के दिन से ही उक्त खरीदशुदा भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है, जिस पर अपीलान्ट नं01 ने अपने भाई बृजमोहन की सहमति से उक्त खरीदशुदा भूमि में एक विधालय आदर्श शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण विधालय सूरौठ के कमरे व बच्चों के लिए खेल मैदान व रिहायश के कमरे आदि का निमार्ण कर लिया है जो कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.1996 एवं 01.08.2017 के अवलोकन से बखूबी साबित है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.70 है0 पर विधालय का कब्जा है, इसी आराजी नम्बर पर विधालय कार्यालय, प्रशिक्षण हेतु कमरे , प्रशिक्षणार्थी हेतु आवासीय कमरे, खेल मैदान तथा नलकूप स्थित हैं तथा खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.15 है0, 1083 रकबा 0.22 है0, 1122 रकबा 0.06 है0, 1123 रकबा 0.24 है0, 1127 रकबा 0.57 है0, 1128 रकबा 0.22 है0 आराजी नम्बरान वास्ते खेल मैदान उपयोग में आ रहें हैं जो साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा ग्राम धंधावली से दौराने सेटिलमेंन्ट कायम किये गये नवीन खसरा नम्बरान हैं। तथा उक्त लिखावट 7/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन मुकदमा नं0 16/2019 उनवानी स्वदेश कुमार वगैराह बनाम शिव प्रकाश वगैराह दावा बाबत् तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा की प्रति के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 329 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम धंधावली तथा हाल खसरा नम्बर 1083,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130, 1131, 648/1613 कुल किता 13 कुल रकबा 5.28 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील हाल सूरौठ के बाबत् दावा बाबत् तकमील मुहायदा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 12/2019 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन होना साबित हैं, जो आदेशिका की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है। माननीय न्यायालय में विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं02 के हक में उक्त विवादित आराजीयात के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बाबत् जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2019 को तहसीलदार सूरौठ के यहाँ पंजीबद्ध कराया है वह धारा 52 टी.पी.एक्ट के तहत निरस्तनीय है। क्योंकि विवादित आराजीयात का मामला जब सिविल न्यायालय में विचाराधीन था तो उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नं01 के द्वारा रेस्पोडेन्ट नं02 के हक में बदनियति से एवं खिलाफ कानून कराया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1428 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत धंधावली के द्वारा दिनांक 21.09.2019 को तस्दीक किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2019 को पंजीबद्ध हुआ है तथा दिनांक 21.09.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसकी अवधि मात्र 2 दिवस के अन्दर ही सारी कार्यवाहीयॉ पूर्ण की जा चुकी है। यह सही है कि नामान्तकरण को तस्दीक करने की शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई तथा ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों व अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किये गये और ना ही ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई और ना ही ग्राम पंचायत के कोरम में उक्त नामान्तकरण पेश किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक आहूत किये बिना व वार्ड पंचों तथा अपीलान्ट व अन्य किसी व्यक्तियों को बुलाये बिना व मौके की जॉच किये बिना गोपनीय तरीके से सरपंच से मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक कराया गया है। जो विधि विरूद्ध होना साबित है। उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसमें विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही धारा 52 टीपीएक्ट से हिट होने के कारण तथा उक्त विवादित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट नं01 के द्वारा अपीलान्ट सं01 स्वदेश कुमार व अपीलान्ट नं02 के पति व अपीलान्ट नं03 ता 5 के पिता बृजमोहन के हक में सन् 1986 में ही अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/28 भाग की भूमि को जरिये इकरारनामा विक्रय कर अपीलान्टस को कब्जा संभलाने के कारण एवं उक्त विवादित आराजीयात पर अपीलान्टस का कब्जा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.1996 एवं 01.08.2017 के आधार पर साबित होने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 1428 निरस्त किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही रेस्पोडेन्ट नं01 के द्वारा अपीलान्ट सं01 व उसके भाई बृजमोहन के हक में सन् 1986 में जरिये इकरानामा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विक्रय की जा चुकी है तथा विक्रय धन राशि भी प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष विक्रय धन राशि रजिस्ट्री के समय प्राप्त करने का इकरार रेस्पोडेन्ट नं01 ने किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं01 के द्वारा रेस्पोडेन्ट नं02 के हक में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2019 को तहसीलदार सूरौठ के यहाँ गलत रूप से पंजीबद्ध कराया है वह धारा 52 टीपीएक्ट से हिट होता है। धारा 52 टीपीएक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई वाद या कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है तो विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई बयनामा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा है तो वह धारा 52 टीपीएक्ट के तहत पश्चातवर्ती विक्रय होने से निष्प्रभावी है। जबकि उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन होने के कारण उसमें पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तकरण सम्बन्धी भी कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण सं0 1428 ग्राम धंधावली निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्टस विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 1428 निर्णित दिनांक 21.09.2019 ग्राम धंधावली ग्राम पंचायत धंधावली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-8-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली